



दिल्ली की रात में उतरी कृष्णीति की चमकः पुतिन की ऐतिहासिक भारत यात्रा से रिश्तों में नई गम्भीरता

जीएनएस)। नई दिल्ली की हवा में गुरुवार रात एक खास उत्साह महसूस किया गया, जब रूस के राष्ट्रपति ल्वादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलता और वैशिक तनावों के बीच यह यात्रा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दो पुराने मित्र देशों के विश्वास, परंपरा, साझेदारी और भविष्य की दिशा को तय करने का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण बनकर उभरी, जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक सुनी जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद थे और जब दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया, तो उस दृश्य ने यह संदेश साफ कर दिया कि भारत-रूस मित्रता की ऊष्मा आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी शीतयद के



दशकों में दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत बनाए रखा है। मोदी और पुतिन की बैठक इस बात का प्रतीक है कि भारत बहुधीय विश्व व्यवस्था में अपनी जगह और भूमिका खुद तय करता है, और माँस्कों नई दिल्ली को लंबे समय से एक भरोसेमंद, स्थिर और रणनीतिक साथी के रूप में देखता है।

इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और समझौतों की उम्मीद की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से लेकर ऊर्जा सुरक्षा के नए अध्याय लिखने तक व्यापारिक संबंधों को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने से लेकर कामगारों वे

आवागमन को सरल बनाने तक—दोनों देश भविष्य की साझेदारी को एक नई दिशा देने की तैयारी में हैं। छोटे मॉड्यूलर परमाणु संयंत्रों पर संभावित सहयोग आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित और संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा, यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ भारत के प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की संभावना है, जो व्यापार को नई गति और नई भौगोलिक दिशा दे सकता है। रूस द्वारा भारत में 'ईंडिया चैनल' की शुरुआत सांस्कृतिक संवाद और जन-सेजन संबंधों को और भी जीवंत करेगी। शुक्रवार का दिन दोनों देशों के लिए व्यस्त और ऐतिहासिक होने वाला है। पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और यह संदेश देंगे कि भारत की आत्मा और उसके महापरुषों का सम्मान, मॉस्को की वह हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन स्वागत के बाद हैदराबाद मोदी-पुतिन वार्ता का मुक्त होगा। यहाँ होने वाली बैठकें ऐसे फैसले लिए जाने वाली हैं, जो आने वाले दशकों संबंधों की दिशा और गहराई करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का आयोजन करेंगे, जहाँ ही नहीं, बल्कि भविष्य योजनाएँ भी साझा की जाएंगी। राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मु के शामिल होने के बाद पुतिन बजे भारत से प्रस्थान करेंगे। यह यात्रा इसलिए भी विशेष यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद की भारत की पहली यात्रा है।

नीति का भी औपचारिक हाउस में चरण शुरू पीत में कई उम्मीद है, भारत-रूस को निर्धारित मोदी पुतिन लिए भोज ए पकवान रणनीतिक गति। देर शाम य भोज में त करीब नौ है क्योंकि मे यह पुतिन ऐसे समय में जब दुनिया में रूस को लेकर कई तरह की राजनीतिक धारणाएँ बनाई जा रही हैं, भारत और रूस का यह खुला संवाद यह बताता है कि दोनों देशों का संबंध बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान, ऐतिहासिक मित्रता और साझा हितों पर आधारित है। वर्ष 2000 में दोनों देशों के बीच हुई सामरिक साझेदारी की घोषणा ने जिस नींव को स्थापित किया था, आज वह और गहरी, मजबूत और बहुआयामी होती जा रही है। रक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, ऊर्जा, संस्कृति और शिक्षा—किसी भी क्षेत्र को देखें, भारत और रूस साथ-साथ खड़े दिखाई देते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के स्वागत के दौरान कहा—“मुझे अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का दिल्ली में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मैं आज शाम और कल हमारी बैठकों को लेकर आशान्वित हूं।

भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे हमारे लोगों को अपार लाभ हुआ है।” यह बयान सिर्फ वर्तमान परिस्थिति को नहीं, बल्कि दशकों पुराने उस बंधन को भी दोहराता है जिसमें विश्वास, समझ और सहयोग हमेशा सबसे आगे रहा है। भारत और रूस के बीच का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का पन्ना नहीं, बल्कि पुरानी मित्रता का पुल है—जो भू-राजनीतिक तूफानों में भी नहीं टूटा, जो आर्थिक संकटों में भी नहीं हिला, और जिसने नई पीढ़ियों के लिए सहयोग की अनगिनत संभावनाएँ खोली हैं। पुतिन की यह भारत यात्रा उसी पुल पर एक और मजबूत पत्थर जोड़ती है, और बताती है कि बदलते समय में भी कुछ संबंध सिर्फ जीवित ही नहीं रहते, बल्कि और भी अधिक सार्थक और शक्तिशाली हो जाते हैं।

शांति से पहले सहयोग नहीं: लेबनान के प्रधानमंत्री का दो टूक संदेश, इजराइल के साथ सामान्य संबंधों की राह अब भी दूर



लोहा और जमीन कारोबारियों पर आयकर का शिकंजा छत्तीसगढ़ में एक साथ 24 ठिकानों पर छापेमारी

सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत—
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 तक ट्रायल पर लगाई
जेक गाजनीविक इलाकों में इलाचाल तेज़

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द सुबह में सुप्रीम कोर्ट की गलियारों में आज एक बार फिर भारी भीड़ थी। कैमरों की फ्लैश लाइट्स, पत्रकारों का जमा हुजूम और कानूनी रणनीतिकारों के बीच फुसफुसाहट—सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि आज होने वाली सुनवाई बेहद अहम है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और बड़ी राहत देते हुए द्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक 22 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी और इस अवधि में द्रायल कोर्ट किसी भी तरह की आगे की सुनवाई नहीं करेगा। यह फैसला राहुल गांधी के लिए कानूनी ढाल की तरह है, जो आने वाले दो वर्षों तक कोर्ट की मौजूदगी से उन्हें बचाता रहेगा। 4 अगस्त की सुनवाई ने राजनीतिक तथा शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। आज की सुनवाई उसी प्रक्रिया का आगे बढ़ना थी, जिसमें अब काफी लंबी राहत मिल गई है। यह पूरा मामला सीमा सङ्करण (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की शिकायत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा झड़प पर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया था जिसमें कहा गया—चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों की “पिटाई” कर रहे हैं और देश का मीडिया चुप है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ समन जारी हुआ, जिसे राहुल गांधी ने चुनौती दे रखा है और उसे रद्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा द्रायल स्थिगित करने से यह मामला अब कम से कम डेढ़ साल तक आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसका सीधा राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा—राहुल गांधी के लिए यह फैसला एक बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है।

तापमान और बढ़ा दिया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी टिप्पणी की थी और पूछा था कि चीन द्वारा “2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि कब्जे” का दावा किस तथ्य पर आधारित है। उन्होंने कहा था—“एक सच्चा भारतीय इस तरह का बयान नहीं देगा। सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी देशहित में नहीं है।” उसी दिन अदालत ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक क्योंकि इस मामले की सुनवाई यदि जारी रहती, तो 2026 तक उन्हें लगातार अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते थे। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने न केवल उन्हें लंबी राहत दी, बल्कि कांग्रेस खेमे में राजनीतिक उत्साह भी बढ़ा दिया है। अब अगली सुनवाई तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम ढाल के पीछे सुरक्षित है—और राजनीति में यह राहत आने वाले समय में एक बड़े संदेश के रूप में भी देखी जा

का केंद्र रहा है, आज भी इजराइल की सैन्य मौजूदगी और हवाई हमलों का सामना कर रहा है। इन कार्रवाइयोंने स्थानीय आबादी में भय और असुरक्षा की भावना को गहरा किया है। प्रधानमंत्री सलाम का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सिफ्ट कूटनीति की भाषा नहीं, बल्कि उस जनता की पोड़ा और उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिसने लंबे समय से युद्ध और अस्थिरता का बोझ उठाया है।

सलाम ने यह भी साफ कहा कि किसी भी नई पहल पर विचार तभी किया जा सकता है, जब युद्धविरासम समझौते का हर प्रावधान पूरी तरह लागू किया जाए। उहोंने इजराइल पर जोर दिया कि उसे दक्षिण लेबनान से अपनी सैन्य मौजूदगी समाप्त करनी चाहिए और हर तरह के हमले बंद करने चाहिए। इसके साथ ही उहोंने हिज्बुल्लाह की जिम्मेदारियों की भी बात उठाई। समझौते के अनुसार हिज्बुल्लाह को निरस्त्रीकरण से जुड़े प्रावधानों का पालन करना होगा, हालांकि संगठन ने अपने हथियार पूरी तरह छोड़ने से इनकार किया है। हिज्बुल्लाह का तर्क है कि केवल राज्य

को रक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार है, लेकिन उसने अपने अस्तित्व और भूमिका को सुरक्षा ढांचे के भीतर सीमित करने पर फिलहाल स्पष्ट सहमति नहीं दी है। यह पूरी स्थिति बताती है कि लेबनान और इजराइल के बीच शांति का रास्ता कितना लंबा और जटिल है। जमीन पर तनाव, राजनीतिक अविश्वास, क्षेत्रीय सक्तियों के प्रभाव और आंतरिक राजनीतिक विभाजन—हर चीज़ इस प्रक्रिया को कठिन बनाती है। प्रधानमंत्री

सलाम जानते हैं कि आर्थिक सहयोग का संभावना मध्य-पूर्व में स्थिरता का एक बड़ा द्वार खोल सकती है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष उस विवरण का और जिम्मेदारी को निभाने की स्थिति में हैं जो शांति की बुनियाद को मजबूत कर सके। उनका यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि फिलहाल यह लक्ष्य काफी दूर दिखाई देता है। क्षेत्र में अभी भी हर दिन एक नई घटना एक नया तनाव, एक नई अनिश्चितता जन लेती है। ऐसे माहौल में लेबनान आर्थिक सहयोग की किसी भी पेशकश को जल्दबाज़ में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।

लैंड फॉर जॉब केस—फैसले का इंतजार फिर बढ़ा, लालू—राबड़ी—तेजस्वी अदालत में पेश नहीं, अब 8 दिसंबर को सुनाया जाएगा आदेश (जीएनएस)। नई दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज सुबह माहौल हमेशा की तरह गंभीर था। सुक्षकामियों की चहल-पहल, मीडिया कैमरों की कतार और वकीलों के बीच हलचल पहले से ही यह संकेत दे रही थी कि सुनवाई का दिन महत्वपूर्ण है। बहुचार्चित लैंड फॉर जॉब घेटाला मामले में आरोप तय किए जाने को लेकर कोर्ट अपना आदेश सुनाने वाली थी, लेकिन एक बार फिर निर्णय टल गया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने स्पष्ट किया कि आदेश पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका था, परंतु सुनवाई के दौरान कुछ औपचारिक पहलुओं के पूरा न होने के कारण फैसला अभी स्थगित कर दिया गया है। अब अदालत यह निर्णय 8 दिसंबर को सुनाएगी कि आरोप तय किए जाएंगे या नहीं। इससे पहले भी 10 नवंबर को आदेश टल चुका है, और उस तर्ज से प्राप्ति में अधिकारी



